न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बस्ती।
सत्र परीक्षण संख्या-875/2020
सरकार बनाम अमर सिंह

UPBS010031652020

26.02.2021

पेश हुआ।

अभियुक्त अमर सिंह पुत्र श्याम प्रताप सिंह सा०-खम्हरिया सुजात, थाना-हर्रैया, जनपद-बस्ती द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION NO- 7209 of 2021 में पारित आदेश दिनांकित 17.02.2021 के प्रकाश में जमानत की धनराशि निर्धारित करने की प्रार्थना की गयी है, साथ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.02.2021 की कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय बस्ती द्वारा चेक एवं प्रमाणित प्रतिलिपि एव शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक प्रपत्रों का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION NO- 7209 of 2021 में दिनांक 17.02.2021 को अपराध संख्या 166/2020 अन्तर्गत धारा 302 व 201 भारतीय दण्ड संहिता, थाना-हर्रैया, जनपद-बस्ती मामले में आवेदक/अभियुक्त अमर सिंह का जमानत स्वीकार किया गया है और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत धनराशि निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के शर्तों के अधीन, व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं प्रत्येक प्रतिभू की धनराशि एक लाख रूपये की दो, निश्चित किया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्त का पालन भी करेगा।

{पृथ्वीपाल यादव}
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।

Digitally signed by Prithvi Pal Yadav
Date: 2021.02.26 17:32:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court